KKP-5000-9-06 — सी–11

क्षेत्रीय कार्यालय

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

रसीदी पंजीकृत

''पंचदीप भवन'', नन्दानगर, इन्दौर–452011

क्रमांक : म.प्र. 18– 15808-101 निरीक्षण दिनांक : 05.05.09

सेवा में,

मेसर्स ....

....

....

विषय – कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 का कार्यान्वयन कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 2 (12), 1(5) के अंतर्गत कर्मचारियों तथा स्थापनाओं का पंजीकरण।

प्रिय महोदय,

निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार से अधिसूचना संख्या .... दिनांक 24.06.14 .... द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 1 (3) के अन्तर्गत .... (क्षेत्र) के अन्तर्गत अधिनियम के उपबन्धों को दिनांक .... से .... क्षेत्र के अन्दर लागू किया है।

(2) यह भी निवेदन है कि उपर्युक्त सरकार ने अधिसूचना संख्या .... दिनांक .... से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 1 (5) के अन्तर्गत अन्य स्थापना के लिए अधिनियम के उपबन्धों का विस्तार किया है।

(3) अधिनियम की धारा–2 क के अन्तर्गत ऐसे कारखाने/स्थापना को अधिनियम के अन्तर्गत अपना पंजीकरण कराना अपेक्षित है तथा इसके अध्याय–4 के अनुसार उसके प्रधान नियोजक की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने कर्मचारियों का बीमा कराएं और अधिनियम के अन्तर्गत आए ऐसे कर्मचारियों के सम्बन्ध में अंशदानों की अदायगी करें।

(4) आपके कारखाने/स्थापना के सम्बन्ध में आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए ब्यौरों तथा बीमा निरीक्षक/शाखा कार्यालय प्रबन्धक द्वारा दिनांक 02.02.09 व 27.04.09 को आपके कारखाने/स्थापना के निरीक्षण की रपट के आधार पर आपका कारखाना/स्थापना दिनांक 01.12.2008 से स्थाई/अस्थाई तौर पर अधिनियम की धारा 2 (12), 1 (5) के अधीन आता है। तथापि यदि अनुवर्ती तथ्यों से यह पता चलता है कि आपका कारखाना/स्थापना उपर्युक्त तारीख से पूर्ववर्ती किसी तारीख से योजना में शामिल किए जाने योग्य था, तो आप ऐसी किसी पूर्ववर्ती तारीख से अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

आपसे निवेदन है कि आप अधिनियम के अन्तर्गत अपने कारखाने/स्थापना की व्याप्ति की तारीख से घोषणा–पत्र भरकर अपने कर्मचारियों का पंजीकरण करवाने की कृपा करें तथा अंशदान विवरणी तैयार कराने और अंशदानों की अदायगी करने तथा रिकार्ड आदि रखने के लिए तुरन्त कदम उठाने की कृपा करें।

सुविधा की दृष्टि से आपकी स्थापना को कूट संख्या 18-15808-101 आवंटित की गई है जिसे इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में तथा फर्मों में इस प्रयोजन के लिए दिए गए उपयुक्त कॉलम (स्तम्भ) सभी फार्मो (प्रपत्रों) मे इस्तेमाल करने की कृपा करें। .... में स्थित निगम के शाखा कार्यालय को आपके कर्मचारियों के पंजीकरण के सम्बन्ध में आपको आवश्यक सहायता देने के अनुदेश दिए गए है। यदि आपको कोई कठिनाई महसूस हो या योजना से सम्बन्धित/आवश्यक होने वाले किसी अन्य प्रयोजन के लिए आप आवश्यक समझें तो उपर्युक्त शाखा कार्यालय के प्रबन्धक से सम्पर्क करने की कृपा करें, जो मामले में आपकी आवश्यक सहायता करेंगे।

कृ.प.उ.

निवेदन है कि बीमा चिकित्सालय व्यवसायियों, राज्य बीमा औषधालयों की सूची का अपनी स्थापना में व्यापक प्रचार करने की कृपा करें, ताकि आपके कर्मचारी अपने बीमा औषधालयों/बीमा चिकित्सा व्यवसायियों को चुन सकें। अपेक्षित फॉर्म तथा अंशदान विवरणी आदि उपरलिखित शाखा कार्यालय से प्राप्त करें, जिसके साथ आपके सभी कर्मचारियों को सम्बद्ध भी किया जाएगा। **कृपया सभी पत्राचारों पर अपना कोड नम्बर (कूट संख्या) अवश्य अंकित करें।**

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन आपके कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन में निगम कर्मचारी आपको सभी आवश्यक और सम्भव सहायता प्रदान करेंगे तथा मुझे विश्वास है कि आप अपनी ओर से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम और विनियमों के उपबन्धों का शीघ्र तथा समय पर अनुपालन करेंगे।

यदि प्रधान नियोक्ता ठेकेदार के माध्यम से श्रमिक कार्य पर रखता है तो कराबी अधिनियम की धारा 40 (1) एवं 41 के तहत अधिनियम के संपूर्ण अनुपालन की जिम्मेदारी प्रधान नियोक्ता की ही रहती है चाहे ठेकेदार को पृथक रूप से कूट संख्या आबंटित है या नहीं।

भवदीय

उप निदेशक (निरीक्षण)
कृते-क्षेत्रीय निदेशक
इन्दौर (म. प्र.)

अनुलग्नक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई की अपेक्षा के साथ प्रेषित -

(1) श्री .... बीमा निरीक्षक ....
उन्हें सलाह दी जाती है कि संस्थान का प्रारम्भ से दि. .... तक सम्पूर्ण अभिलेखों की जांच सहित निरीक्षण कर अन्तिम व्याप्ती निर्धारण हेतु भी कार्रवाई करें।

(2) शाखा प्रबन्धक, शाखा कार्यालय, क.रा. बीमा निगम, ... नियोक्ता से 10 दिन की अवधि में कर्मचारियों के घोषणा-पत्र प्राप्त न होने पर वैधानिक कार्रवाई कर सूचित करें।

(3) ई.डी.पी.-शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर। कर्मचारियों की संख्या .... है।

(4) निरीक्षण कार्यालय ....

(5) गार्ड फाईल ....